368

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा
संख्याः 88/XXXV-4/16/15(03)2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक-22 मार्च, 2016

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पर्यटन विभाग हेतु की गयी घोषणा संख्याः 683/2014 के क्रियान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ₹40.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1444/XXVII(1)/2015 दिनांक 14.12.2015 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय, अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 08/XXXV-4/2016 दिनांक 05.01.2016 के अनुक्रम में स्वीकृत ₹20.00 करोड तथा शासनादेश संख्या 91/XXXV-4/2016 दिनांक 11.03.2016 के अनुक्रम में पुनः स्वीकृत ₹20.00 करोड इस प्रकार कुल ₹40.00 करोड़ के सापेक्ष मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्याः 683/2014 (कुंजापुरी के पास हिण्डोलाखाल में पार्किंग स्थल का निर्माण किया जायेगा) के कियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा गठित संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹98.25 लाख (रूपये अठानब्बे लाख पच्चीस हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए **₹40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित कर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके (जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल–4217) निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि कुल **₹40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) आकस्मिकता निधि से उपर्युक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक आय–व्ययक अथवा वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में नई मांग के माध्यम से संगत योजना की मानक मद में धनराशि की व्यवस्था कराते हुए प्राप्त होने वाली धनराशि द्वारा यथासमय कर ली जायेगी।

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(7) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(8) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(11) उक्त कार्य के आंगणन पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 के दिशा–निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित कर लिया जाय।

(12) कार्य की प्रगति की निरतंर एवं गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्व रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(13) उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–400/XXVII(1)/2015 दिनांकः 1अप्रैल, 2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शासन द्वारा मितव्यता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) उक्त कार्य के आंगणन पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 के दिशा–निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित कर लिया जाय।

(18) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यो का कार्यभार वित्तीय/भौतिकी प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय संख्या 08/XXXV-4/2016 दिनांक 05.01.2016 के अनुक्रम में स्वीकृत ₹20.00 करोड तथा संख्या 91/XXXV-4/2016 दिनांक 11.03.2016 के अनुक्रम में पुनः स्वीकृत ₹20.00 करोड इस प्रकार कुल ₹40.00 करोड़ प्राविधानित व्यवस्था के सापेक्ष प्रथमतः लेखाशीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201 समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–3 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 60–अन्य भवन, 800–अन्य व्यय, 02–माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0:193(P)/XXVII(5)/2016 दिनांकः 18 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 88/XXXV-4/16/15(03)2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. अनुसचिव (लेखा) आहरण वितहरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
8. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
9. वित्त अनुभाग–5/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड।
12. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

D:\RP bahuguna\budjet\go\G.O..doc

3688

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, CM Ghoshna (Grants) (9007)

आवंटन पत्र संख्या - 88/XXXV-4/16/15(03)2016

अनुदान संख्या - PAC

अलोटमेंट आई डी - F1603990076

आवंटन पत्र दिनांक - 22-Mar-2016

लेखा शीर्षक - 8000-00-201-00-00 (राज्य आकस्मिकता निधि)

Name - District Magistrate (For Grants)Tehri (4183) , Treasury - New Tehri (6100)

1:	**लेखा शीर्षक**	4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	60 - अन्य भवन
	जिसमे समायोजन होना है -	800 - अन्य व्यय 00 - k	02 - मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अन (अनुदान संख्या - 003)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बृहत निर्माण कार्य	13900000	4000000	17900000
	13900000	**4000000**	**17900000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 4000000